

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1736 / FP/UK/ROAD/34118/2018 देहरादून: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-चमोली में टी०एस०पी० के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.738 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/34118/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर (चमोली) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.738 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ एवं निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है। उक्त परियोजना के ऑनलाइन भरे गये पार्ट-II में अंकित सूचना के अनुसार वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-10 है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाइन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

मिलीमिली
(डी०जे०के० शर्मा) 26/12/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/34118/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
5. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर (चमोली)

↑
(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः— जनपद—चमोली में टी०एस०पी० के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट से सूखी—भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.738 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/34118/2018)

जनपद—चमोली में टी०एस०पी० के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट से सूखी—भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.738 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 1.738 हेतु सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद—चमोली/नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ एवं निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है। उक्त परियोजना के ऑनलाइन भरे गये पार्ट-II में अंकित सूचना के अनुसार वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या—10 है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः

हस्ताक्षरः

डी०जे०के० शर्मा

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकार

सरकारी मोहरः

(D. J. K. Sharma)

APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)

तिथि : 26 / 12 / 2020

स्थान : देहरादून